शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्या ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलने पर सत्र 2002-21 की बकाया CL ले सकते है ?

1:-सत्र 2020-21की बकाया CL का उपयोग 30 जून 20 तक कर सकते है।

2:-30 जून के बाद लगातार एक जुलाई 2021 से अगले सत्र की सीएल भी ले सकते हैं लेकिन दोनों सत्रों की कुल लगातार दस से ज्यादा सीएल न हो।

3:– नियम 2 निर्णय 10 दिनांक 02/02/1971 के अनुसार वेकेशन के क्रम में 24 जून को CL नही ले सकते है।

4:-आवश्यक होने पर =7/06/2020 को PL/ML अवकाश ले सकते है।

5 :-ग्रीष्मावकाश में जो लगातार covid 19 या बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी दे रहे है तथा ग्रीष्मावकाश में ऑन ड्यूटी है वह 07 जून को भी CL ले सकते है।

6:-जिनकी कोविड 19 में ड्यूटी लगी हुई है वे अपने नियंत्रण अधिकारी से मार्ग दर्शन प्राप्त कर स्कूल में जॉइन करे अन्यथा उनके निर्देश अनुसार कोविड 19 की ड्यूटी जारी रखे।

नोट:-CL के साथ अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नही ले सकते है।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : संशोधित कार्यालय आदेश : :

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34848/2017 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे :–

"राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5–(I) वित्त/नियम–2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम–16 की अनुसूची–IV की टिप्पणीं संख्या–4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calander year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश को राजस्थान सेवानियम–1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट–1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियो के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जूलाई से 30 जून तक रहेगा ।

विभाग में कार्यरत परीवीक्षाधीन शिक्षको एवं नियमित शिक्षको के लिए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान सेवानियम–1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट.1 के तत्सम्बन्धी प्रावधान समान रूप से लागू है ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकःशिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34848/2017 दिनांकः 04.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा ।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करनें हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

सक।.

आकस्मिक अवकाश की देयता :-

- गैर शैक्षणिक विभागों के लिए वर्ष से तात्पर्य 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तथा शैक्षणिक विभागों के लिए वर्ष से तात्पर्य 1 जुलाई से 30 जून तक के शैक्षणिक वर्ष से है।
- एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन व एक बार में अधिकतम 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत।
- वैकेशन के निरन्तर और क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
- दो वर्ष का साथ में आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है अर्थात् दोनों वर्षों के पूर्व वर्ष की

आकस्मिक अवकाश पर असमंजस

शिक्षण सत्र बदला पर नियमों में संशोधन नहीं

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

बीकानेर: शिक्षा विभाग में आकस्मिक अवकाशों को लेकर शिक्षक एवं संस्था प्रधान असमंजस में हैं। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार केंद्रीकृत विभागों में शैक्षिक स्टाफ के 1 जुलाई से 30 जून तक आकस्मिक अवकाश लेने की व्यवस्था है, लेकिन विभाग ने नया शैक्षिक सत्र 1 मई से शुरू कर दिया और सेवा नियमों में उसके अनुसार बदलाव नहीं किया।

इस वजह से यह असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि विभाग ने इस बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

कई संस्था प्रधान अर्धवार्षिक शैक्षिक स्टाफ के आकस्मिक अवकाशों की गणना शिक्षण सत्र 2016-17 की समाप्ति तक ही कर रहे हैं तो कई संस्था प्रधान पहले की तरह 30 जून तक आकस्मिक अवकाश लेने का अधिकार शिक्षकों को दे रहे हैं। इससे एक ही विभाग में अलग-अलग तरह से नियमों की व्याख्या किए जाने में विसंगति हो रही है।

संशोधन होने तक उपभोग संभव

जानकारों का कहना है कि जब तक सेवा नियमों में इस बारे में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक शैक्षिक स्टाफ 30 जून तक आकस्मिक अवकाशों का उपभोग कर सकता है।

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री महेन्द्र पाण्डे ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों के आकस्मिक अवकाशों के बारे में स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है, ताकि शिक्षा विभाग में एक रूपता रह सके। ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल 19 जून को खुलेंगे। 30 जून तक 11 कार्यदिवस जून माह के शेष रहेंगे। ऐसे में आकस्मिक अवकाशों की गणना 30 जून तक किए जाने से शिक्षक अपने बकाया आकस्मिक अवकाश इस अवधि में लेना चाहेंगे।

शिक्षक संगठनों ने किया विरोध

बीकानेर ● पत्रिका: राजस्थान शिक्षक संघ (माध्यमिक) ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों के आकस्मिक शिविरों का विरोध करते हुए इन्हें गैर आकस्मिक करने की मांग की है। संघ के प्रदेश मंत्री रवि आचार्य ने बताया कि ज्ञापन में शिक्षकों का समय शिक्षणेतर समय के अनुसार ही रखने का आग्रह किया गया है। संगठन ने शिक्षकों को अपने गृह जिले में ही प्रशिक्षण लेने की छूट देने की मांग की है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री महेन्द्र पाण्डे ने भी आकस्मिक शिविरों को गैर-आकस्मिक करने, ग्रीष्मावकाश में शिविर लगाने पर शिक्षकों को गृह जिले में ही प्रशिक्षण की सुविधा देने की मांग की है।

नियमों की जानकारी नहीं होने से संस्था प्रधान कर रहे हैं शिक्षकों को परेशान

आकस्मिक अवकाश देने में कर रहे हैं आनाकानी, शिक्षकों में रोष

सिटी रिपोर्टर|अजमेर

नियमों की जानकारी नहीं होने से संस्था प्रधान शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने इस प्रकार की कार्रवाई को गलत मानते हुए शिक्षा अधिकारियों से इसके लिए संस्था प्रधानों को नियम की जानकारी देने की मांग की है।

शिक्षा विभाग राजस्थान ने इस वर्ष सरकारी स्कूलों को 20 जून से खोलने के आदेश दिए थे। इस कारण इस वर्ष ग्रीष्मावकाश 11 मई से 19 जून तक रहा।

राजस्थान सरकार के नियमानुसार शिक्षक को "वेकेशन स्टाफ"की श्रेणी में रखा गया है। जिसके कारण शिक्षकों को 15 आकस्मिक अवकाश एक शैक्षणिक सत्र में मिलते हैं। शैक्षणिक सत्र की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है। इस वर्ष जब स्कूल 20 जून से खोलने के आदेश आए तो शिक्षकों ने अपने आकस्मिक अवकाश को बचा कर रखे। कारण की जब 20 से 30 जून के मध्य स्कूल खुलेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर इनका उपभोग कर लेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने बताया कि अब शिक्षक अपने बचे आकस्मिक अवकाश लेना चाह रहे है तो कई संस्था प्रधान नियमों की जानकारी के अभाव में शिक्षकों को अवकाश नहीं दे रहे हैं। जो गलत है, क्योंकि 30 जून तक अपने आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने का शिक्षक को अधिकार है नए आकस्मिक अवकाश शिक्षक को 1 जुलाई से प्राप्त होंगे। वहीं संस्था प्रधान इन शिक्षकों से आकस्मिक अवकाश की जगह उपार्जित अवकाश या मेडिकल अवकाश की मांग कर रहे हैं जो की गलत है। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने इस प्रकार की कार्रवाई को गलत मानते हुए शिक्षा अधिकारियों से इसके लिए संस्था प्रधानों को नियम की जानकारी देने की मांग की है।

पंजीयन संख्या 5/80-81
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
E Mail - mpandey09@gmail.com
RAJASTHAN PRATHAMIK AVEM MADTHYAMIK SHIKSHAK SANGH

रा.प्रा.एवंमा.शि.सं/बीका/प्रदेश/2017–18 दिनांक 15-06-18

मित्रों शिक्षा सत्र में 10 मई 2018 से 18 जून 2018 तक ग्रीष्मावकाश हुआ है। स्कूलों में कार्यरत शिक्षक 15 आकस्मिक अवकाश का उपभोग 30 जून 2018 तक कर सकेंगे या आकस्मिक अवकाशों का उपभोग 09 मई 2018 तक करना था। इस सम्बन्ध में अनेक शिक्षक और संस्था प्रधान जानकारी चाह रहे हैं।

राजस्थान सेवा नियम के अनुसार वैकेशन विभाग में कार्यरत शैक्षिक स्टॉफ के आकस्मिक अवकाश की गणना एक जुलाई से 30 जून तक की जाती है।

शिक्षा विभाग द्वारा शिविरा पंचांग में गत वर्षों से परिवर्तन किया गया है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में वैकेशन विभाग के लियें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

राजस्थान सेवा नियम के अनुसार वैकेशन विभाग में कार्यरत शैक्षिक स्टॉफ के आकस्मिक अवकाश की गणना एक जुलाई से 30 जून तक की जाती है। यह नियम आज भी प्रचलन में है।

मेरी जानकारी अनुसार सबसे पहले शिक्षा सत्र 1996–97 में अवकाश मई 96 से 30 अप्रैल 97 तक रखे गये थे।

शिक्षा निदेशालय बीकानेर को आग्रह करने पर 15–04–1996 को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया था।

संगठन का आग्रह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा समस्त संस्था प्रधानों को राजस्थान सेवा नियम की पालना करने के लिये ऐसा आदेश वर्तमान शिक्षा सत्र के लिये भी जारी करवाना समीचीन रहेगा।

शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा 15–04–1996 को जारी आदेश इस पत्र के साथ संलग्न है।

समस्त संस्था प्रधान महोदय से आग्रह है कि काम की अधिकता या आवश्यकता नहीं समझने के कारण निदेशालय बीकानेर द्वारा स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। लेकिन राजस्थान सेवा नियम के अनुसार CL गणना एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक तक कर स्वीकृत करने का श्रम करें।

आपका विश्वासी

(महेन्द्र पाण्डे)
महामन्त्री

कार्यालय – निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर ।

क्रमांक : शिविरा/माध्य./स/5627/विशेष/96–97 दिनांक : 15.04.1996

विषय : विद्यालयों में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

शिक्षा विभाग का शिक्षा सत्र इस वर्ष 1 मई, 96 से प्रारम्भ होकर 30 अप्रैल, 97 तक चालू रखने के लिये "शिविरा पंचांग 1996–97" जारी कर दिया गया है और सभी संस्था प्रधान तदनुसार ही विद्यालय 1 मई, 96 से नियमित कक्षाऐं प्रारम्भ कर सुचारू रूप से शिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

निदेशालय के ध्यान में यह लाया गया है इस व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों को देय 15 आकस्मिक अवकाश का उपभोग अब 30 अप्रैल तक या 30 जून तक किया जाना है।

राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत वेकेशन विभाग जैसे राजकीय महाविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के मामलों में वर्ष 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून को समाप्त माना जायेगा। इसी परिपेक्ष में निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि "विद्यालयों में कार्यरत वेकेशन–स्टॉफ के लिये 15 दिन के आकस्मिक अवकाश की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक ही की जायेगी।"

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप इसकी अवगति आपके अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को देकर अनुपालना से निदेशालय को सूचित करें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर

प्रश्न:-(261) क्या ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलने पर सत्र 2002-21 की बकाया CL ले सकते है ?

🎀🎀🎀🎀🎀🎀

1:-सत्र 2020-21-20 की बकाया CL का उपयोग 30 जून 20 तक कर सकते है।

2:-30 जून के बाद लगातार एक जुलाई 2021 से अगले सत्र की सीएल भी ले सकते हैं लेकिन दोनों सत्रों की कुल लगातार दस से ज्यादा सीएल न हो।

3:-- नियम 2 निर्णय 10 दिनांक 02/02/1971 के अनुसार वेकेशन के क्रम में 24 जून को CL नही ले सकते है।

4:-आवश्यक होने पर =7/06/2020 को PL/ML अवकाश ले सकते है।

5 :-ग्रीष्मावकाश में जो लगातार covid 19 या बोर्ड़ परीक्षा में ड्यूटी दे रहे है तथा ग्रीष्मावकाश में ऑन ड्यूटी है वह 07 जून को भी CL ले सकते है।

6:-जिनकी कोविड 19 में ड्यूटी लगी हुई है वे अपने नियंत्रण अधिकारी से मार्ग दर्शन प्राप्त कर स्कूल में जॉइन करे अन्यथा उनके निर्देश अनुसार कोविड 19 की ड्यूटी जारी रखे।

नोट:-CL के साथ अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नही ले सकते है।

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

11:22 am

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

विषय – शिक्षकों की CL 30 जून 2019 तक मानने के निर्देश बाबत।

सन्दर्भ – शिविरा/माध्य/स/5627/विशेष/96–97 दिनांकः 15–04–1996

महोदय जी

सविनय निवेदन है कि शिविरा पंचांग 2018–19 अनुसार एक मई से नया शिक्षा सत्र शुरू होना है।

19 जून 2019 को पुनः स्कूल खुलेंगे।

शिक्षकों की CL की गणना सेवा नियमों के अनुसार एक जुलाई से 30 जून तक होती है।

सेवा नियमों में CL के लिए संशोधन नहीं हुआ है।

अतः प्रोबेशन काल में सेवा करने वालों के अलावा अन्य सभी शिक्षकों की CL गणना जुलाई से जून ही होनी है।

शिक्षा सत्र 1996–97 में परिवर्तन के बाद CL के लिए आदेश जारी किए गए थे।

संगठन का आग्रह है कि सत्र 2018–19 के लिए ऐसे आदेश जारी करवाना समीचीन रहेगा।

भवनिष्ठ

सादर।

(महेन्द्र पाण्डे)
महामन्त्री

कार्यालय – निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर ।

क्रमांक : शिविरा/माध्य./स/5627/विशेष/96–97 दिनांक : 15.04.1996

विषय : विद्यालयों में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

शिक्षा विभाग का शिक्षा सत्र इस वर्ष 1 मई, 96 से प्रारम्भ होकर 30 अप्रैल, 97 तक चालू रखने के लिये "शिविरा पंचांग 1996–97" जारी कर दिया गया है और सभी संस्था प्रधान तदनुसार ही विद्यालय 1 मई, 96 से नियमित कक्षाऐं प्रारम्भ कर सुचारू रूप से शिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

निदेशालय के ध्यान में यह लाया गया है इस व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों को देय 15 आकस्मिक अवकाश का उपभोग अब 30 अप्रैल तक या 30 जून तक किया जाना है।

राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत वेकेशन विभाग जैसे राजकीय महाविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के मामलों में वर्ष 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून को समाप्त माना जायेगा। इसी परिपेक्ष में निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि "विद्यालयों में कार्यरत वेकेशन–स्टॉफ के लिये 15 दिन के आकस्मिक अवकाश की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक ही की जायेगी।"

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप इसकी अवगति आपके अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को देकर अनुपालना से निदेशालय को सूचित करें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर

पंजीयन संख्या 1/85-91
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
E Mail - [illegible]@gmail.com
RAJASTHAN PRATHAMIK AVEM MADHYAMIK SHIKSHAK SANGH

रा.प्रा.एवं मा.शि.स / बीका / प्रदेश दिनांक 05-06-2021

मित्रों स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व समकक्ष (शिविरा पंचांग से नियंत्रित) की सीएल गणना 1 जुलाई से 30 जून तक रहेगी। यह राजस्थान सेवा नियमों में वर्णित है।

शिक्षा विभाग में ग्रीष्मावकाश 15-16 मई से 30 जून तक होता रहा है।

निदेशालय बीकानेर के सूत्रों ने बताया है कि स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के सीएल की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होने का सेवा नियमों में प्रावधान है, इसका ग्रीष्मावकाश की अवधी और तिथियों से संबंध नहीं है।

एक बार संभवत पहली बार 1996-97 में ग्रीष्मावकाश की तिथियां बदली गई थी।

शिक्षा निदेशक द्वारा ग्रीष्मावकाश की तिथियां बदलने पर भी शिक्षकों की सीएल की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक करने का आदेश जारी किया गया था।

बार बार निदेशालय से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

सेवा नियमों से स्पष्ट है कि शिक्षक वर्तमान में बकाया सीएल 30 जून 2021 तक ले सकेंगे।

आपका विश्वासी

(महेन्द्र पाण्डे)
महामंत्री

कार्यालय – निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर ।

क्रमांक : शिविरा / माध्य. / स / 5627 / विशेष / 96–97 दिनांक : 15.04.1996

विषय : विद्यालयों में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

शिक्षा विभाग का शिक्षा सत्र इस वर्ष 1 मई, 96 से प्रारम्भ होकर 30 अप्रैल, 97 तक चालू रखने के लिये "शिविरा पंचांग 1996–97" जारी कर दिया गया है और सभी संस्था प्रधान तदनुसार ही विद्यालय 1 मई, 96 से नियमित कक्षाएं प्रारम्भ कर सुचारू रूप से शिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

निदेशालय के ध्यान में यह लाया गया है इस व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों को देय 15 आकस्मिक अवकाश का उपभोग अब 30 अप्रैल तक या 30 जून तक किया जाता है।

राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत वेकेशन विभाग जैसे राजकीय महाविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के मामलों में वर्ष 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून को समाप्त माना जायेगा। इसी परिपेक्ष में निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि "विद्यालयों में कार्यरत वेकेशन–स्टॉफ के लिये 15 दिन के आकस्मिक अवकाश की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक ही की जायेगी।"

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप इसकी अवगति आपके अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को देकर अनुपालना से निदेशालय को सूचित करें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर

NPS बन्द करो OPS लागू करो

प्रान्तीय कार्यालय– 44–ए, पाण्डे कालोनी चौतीना कुआ बीकानेर। मोबाइल 9928370327

शिक्षक बकाया सीएल 30 जून तक ले सकेंगे